न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 307 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 504

प्रार्थीगण

1.घेवरचन्द पुत्र गोबरराम
जाति सुथार निवासी बालोतरा

2.तुलछाराम पुत्र दुर्गाराम
जाति प्रजापत निवासी खट्टू

3.नाथाराम पुत्र मुलाराम
जाति प्रजापत निवासी काकराला

4.नारायणराम पुत्र दुर्गाराम
जाति कुम्हार निवासी खट्टू

5. विजयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी बालोतरा

6. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी संन्तरा

7.हरजीराम पुत्र दुर्गाराम
जाति कुम्हार निवासी खट्टू

8.केसाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी कोछलू

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कन्हैयालाल पुत्र राणाराम

2.लीलादेवी पत्नि राणाराम

3. शांतिलाल पुत्र राणाराम
जाति नाई निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

4.मालाराम पुत्र टिकमाराम
जाति बावरी निवासी बालोतरा

5.केसाराम पुत्र सवाराम जाति राईका

6.खीमसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति पुरोहित
निवासी मुंगडा तहसील पचपदरा

7.गोविन्दराम पुत्र बंशीलाल
जाति प्रजापत निवासी मुंगड़ा

8.भैराराम पुत्र सवाराम

9.मोड़ाराम पुत्र सवाराम

10.रणछोड़राम पुत्र सवाराम
जाति राईका निवासी जैरला

11.अमरती देवी पत्नी राणाराम
जाति मेघवाल निवासी जैरला

12.थानाराम पुत्र रामाराम
जाति राईका निवासी जैरला

13.छगनलाल पुत्र मदनलाल

14.नेमाराम पुत्र मदनलाल

15.मीठालाल पुत्र मदनलाल

16.सीतादेवी पत्नी मदनलाल
जाति [illegible] निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

17.अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक
निर्माण विभाग, बालोतरा

18.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार
पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत विप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 10,11 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 05 से 09 व 12 से 18 एकपक्षीय

<u>आदेश</u>

दिनांक 04.7.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 10,11 की तरफ से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 03,4 व 10,11 अधिवक्ता की तरफ से जवाब पेश कर प्रार्थीगण के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की तरफ से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 से 10 व 12 से 18 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्ति[illegible] का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा [illegible] के [illegible] प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी[illegible] खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 14 व 15 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की लगती विप्रार्थी की खातेदारी भूमि अवस्थित है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया गया। बल्कि प्रार्थीगण की ओर से आए दिन सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहे है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने का मकसद नहीं होकर विवादित भूमि में चल रहा रास्ता को बन्द करने का प्रयास है। प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन लाए जाने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.4.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निर्धारित प्रावधानों के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद विधयमान होने के कारण नेखमबंदी की कार्यवाही किया जाना अनुचित प्रतीत होती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:30:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 769/169 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर व खसरा संख्या 760/169 क्षेत्रफल 2.4281 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 04.7.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:50:36 IST
Reason: SelfAttested